रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2011/आश्विन 1, 1933

No. 531] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2011/ASVINA 1, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 714(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयात और निर्यात नियंत्रण संगठन (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विदेश व्यापार महानिदेशालय संगठन में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार महानिदेशालय (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	411* (2011) पश्चिमी क्षेत्र : 179 दक्षिणी क्षेत्र : 80 पूर्वी क्षेत्र : 65 उत्तरी क्षेत्र : 87 कुल योग : 411* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200–20200 रु. ग्रेड पे 1900 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 – 27 वर्ष के बीच । (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी । (जहाँ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाती है वहाँ आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी) ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता । 2. केवल कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन के लिए 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति : परंतु यह तब जबकि ऐसे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति को जो लिपिकीय पदधारण करने के लिए अन्यथा अर्हित हैं किन्तु उनके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहाँ ऐसा बोर्ड नहीं है, वहाँ सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टंकण कर सकने योग्य नहीं है ।	जी हां, स्तंभ 11 में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा के मामले में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिनके पास बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) **टिप्पण** : यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्‌वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे की पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्‌वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके । (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी, जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रु. वाले पदों में 3 वर्ष नियमित सेवा की है ।	कॉलम-11 में कथित अनुसार

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में सलाह ली जाएगी
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. संबद्ध क्षेत्र के संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार —अध्यक्ष 2. मुख्यालय के उप महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन) —सदस्य 3. संबद्ध क्षेत्र के उप महानिदेशक, विदेश व्यापार (प्रशासन) —सदस्य 4. क्षेत्रीय मुख्यालय पर स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय से अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य 5. संबद्ध क्षेत्र का सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार/विदेश व्यापार विकास अधिकारी (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं ।

[फा. सं. ए-12018/2/2009-एचआरडी-II]

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2011

G.S.R. 714(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Import and Export Control Organisation (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Directorate General of Foreign Trade Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Foreign Trade, (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lower Division Clerk	411*(2011) *Subject to variation dependent on workload. Western Zone : 179 Southern Zone : 80 Eastern Zone : 65 Northern Zone : 87 Total : 411*	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) Grade Pay Rs. 1900.	Non-selection	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University.	Yes, to the extent indicated in column (11).	Two years

(8)	
(ii) A typing speed of 35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each words only on computer : Provided that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped, or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type.	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(11)	(12)
(i) 85% by direct recruitment through SSC. (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility is 45 years. (50 years for the SC/ST). **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.	As stated in column 11.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)		(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) :—		Not applicable.
1. Joint Director General of Foreign Trade of the Zone concerned	—Chairman	
2. Deputy Director General (Administration) of the Headquarters	—Member	
3. Deputy Director General (Administration) of the Zone concerned	—Member	
4. An officer of the rank of Under Secretary or equivalent from any of the Central Government Office situated at Zonal Headquarters location	—Member	
5. Assistant Director General/Foreign Trade Development Officer (Administration) of the Zone concerned	—Member	

[F. No. A-12018/2/2009-HRD.II]

R. S. BISHT, Dy. Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

3570 GI/11 – 2